



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092023-248443
CG-DL-E-01092023-248443

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3680]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2023/भाद्र 9, 1945

No. 3680]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2023/BHADRA 9, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2023

का.आ. 3841(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः -

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को प्लाईवुड और वुडेन फ्लश डोर शटर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जा जाएगा।
(2) यह आदेश इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छः माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा।
(3) बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा- परिभाषित लघु उद्यमों के लिए यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा।
(4) बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा- परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों के लिए यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा। बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण - भारतीय मानक ब्यूरो उक्त तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी - इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

सामान या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
प्लाईवुड और वुडेन फ्लश डोर शटर	303:1989	सामान्य प्रयोजनों के लिए प्लाईवुड
	2202 (भाग 1):1999	वुडेन फ्लश डोर शटर (ठोस प्रकार के)- प्लाईवुड फेस पैनल
	710:2010	मरीन प्लाईवुड
	5509:2021	अग्निरोधी प्लाईवुड
	1328:1996	साज-सजा वाले प्लाईवुड
	2191 (भाग 2):2022	वुडेन फ्लश डोर शटर (सेलुलर और छिद्र वाले) - पार्टिकल बोर्ड और हार्डबोर्ड फेस पैनल
	2191 (भाग 1):2022	वुडेन फ्लश डोर शटर (सेलुलर और छिद्र वाले) - प्लाईवुड फेस पैनल
	2202(भाग 2): 2022	वुडेन फ्लश डोर शटर (ठोस प्रकार के) - पार्टिकल बोर्ड, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड और फाइबर हार्डबोर्ड फेस पैनल
	4990: 2011	कंक्रीट शटरिंग कार्यों के लिए प्लाईवुड - विनिर्देशन
	10701: 2012	स्ट्रक्चरल प्लाईवुड - विनिर्देशन

नोट - इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय - पर रणयथा अधिसूचित संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा.सं.पी--14031/9/2023-सीआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry & Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 29th August, 2023

S.O. 3841(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) This Order may be called the Plywood and Wooden flush door shutters (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force with effect from six months from the date of notification.

(3) Provided that for Small Enterprises as defined under the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from nine months from the date of publication of this notification.

(4) Provided that for Micro Enterprises as defined under the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from twelve months from the date of publication of this notification.

2. Compulsory use of Standard Mark. – Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standard as per Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

3. Certification and enforcement authority. –The Bureau of Indian Standard shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the said Table.

4. Penalty for contravention. –Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Plywood and Wooden flush door shutters	303:1989	Plywood for general purposes
	2202 (Part 1):1999	Wooden flush door shutters (solid core type) - Plywood face panels
	710:2010	Marine plywood
	5509:2021	Fire retardant plywood
	1328:1996	Veneered decorative plywood
	2191 (Part 2):2022	Wooden flush door shutters (cellular and hollow core type) - Particle board and hardboard face panels
	2191 (Part 1):2022	Wooden flush door shutters (cellular and hollow core type) - Plywood face panels
	2202(Part 2): 2022	Wooden Flush Door Shutters (Solid core type) — Particle Board, High Density Fibre Board, Medium Density Fibre Board and Fibre Hardboard Face Panels
	4990: 2011	Plywood for concrete shuttering works - Specification
	10701: 2012	Structural plywood - Specification

Note: For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply.

[F. No. P-14031/9/2023-CI]

SANJIV, Jt. Secy.